महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल

## श्री सादिक अली

का

# अभिभाषण

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का नागपुर में संयुक्त अधिवेशन

२१ जनवरी १९८०

**माननीय सभापति, माननीय उपाध्यक्ष और माननीय सदस्यों**

राज्य विधानमण्डल के १९८० के पहले अधिवेशन में मैं आप सब का स्वागत करता हूँ.

२. मुझे और मेरी सरकार को खुशी है कि इस साल का पहला अधिवेशन नागपुर में हो रहा है.

३. चालू साल के दौरान मेरी सरकार जो अहम काम करना चाहती है या जिन कामों को जारी रखना चाहती है, जिन में विधायी कार्यक्रम भी शामिल हैं, उन्हें मैं हमेशा की तरह आप के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा.

४. योजना आयोग से सलाहमशविरा करके राज्य की १९७८–८३ की पंचवार्षिक योजना को आखिरी शकल दे दी गई है जिसके लिए ४,७०० करोड़ रुपयों का खर्च मुकर्रर किया गया है. १९७८-७९ साल में ७८१ करोड़ रुपये खर्च किया गया था और १९७९-८० साल में ८१३ करोड़ रुपये खर्च होने का अंदाज है. १९८०-८१ की सालाना योजना के सिलसिले में मेरी सरकार ने ८८० करोड़ रुपये के खर्च की योजना का मसूदा आयोजना आयोग के पास भेज दिया है. इस तजवीज में गाँव विकास, सिंचाई प्रोजेक्ट, बिजली पैदा करने व ट्रान्समिशन, रोजगार गारंटी योजना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से ताल्लुक रखनेवाले कामों को अहमियत दी गई है. उम्मीद है कि फरवरी १९८० के शुरूआत में आयोजना आयोग से सलाहमशविरा करके सालाना योजना को आखिरी शकल दी जायेगी.

५. दूधव्यवसाय, पशुपालन, ग्रामोद्योग जैसे छोटे फायदेमन्द धंदे शुरू करके गरीबों की माली हालत बेहतर बनाने के मकसद से १९७८ से भारत का एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम १२७ ब्लाकों में अंजाम दिया जा रहा है. १९७८ से आज तक इस कार्यक्रम से ७० हजार लोगों को फायदा मिला है. चालू साल में भारत सरकार ने और ६ ब्लाकों में यह कार्यक्रम चलाने की मंजूरी दी है. इस साल ५८ ब्लाकों में हर एक ब्लाक को ५ लाख रुपये अलावा रकम दी गई है. चालू साल में १३३ ब्लाकों में ९.१५ करोड़ रुपये खर्च करके इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है. १९७९ से केंद्र सरकार ने अपनी मदद का तरीका बदल दिया है और अब केंद्र से सिर्फ ५० फीसद माली इमदाद मिलेगी. मेरी सरकार को उम्मीद है कि अगले साल भी भारत सरकार इस कार्यक्रम को जारी रखेगी और इस तरह कार्यक्रम में इजाफा किया जा सकेगा.

६. सिंचाई के मैदान में इजाफा करने के मकसद से अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन (आय.डी.ए.) और अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आय.एफ.ए.डी.) की मदद से भीमा और दूसरे ५ बड़े सिंचाई प्रोजेक्टों का बांधकाम और दो पुराने प्रोजेक्टों को आधुनिक बनाने का काम जारी है और अबतक इस सिलसिले में करीब २,६०० लाख अमरीकन डालर कर्ज मंजूर किया गया है.

पिछले साल राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मामले को निबटाने में हम काफी हद तक कामयाब रहे. गोदावरी के पानी का बंटवारा करने के सिलसिले में संबंधित राज्यों ने समय समय पर आपस में जो समझौते किये थे, उसपर अब ट्रिब्युनल की भी राय मिल गई है. नर्मदा जल विवाद ट्रिब्युनल ने अपना फैसला दे दिया है और उसके मुताबिक हमें ०.२५ एम.ए.एफ (११ टी.एम.सी.) पानी का इस्तेमाल करने का हक मिल गया है. नवागांव प्रोजेक्ट से पैदा होनेवाली कुल बिजली का २७ फीसद हिस्सा इस्तेमाल करने का हक महाराष्ट्र को मिला है.

७. इस सिलसिले में मैं उस एक अजीज सवाल का जिक्र करना अपना फर्ज समझता हूँ जो कि मेरी सरकार की नजर में पिछले कई सालों से फिक्र का मसला बना हुआ है. यह महाराष्ट्र–कर्नाटक इन दो राज्यों के हृद के बंटवारे का सवाल है. मुझे और मेरी हुकूमत को उम्मीद है कि पिछले २३ सालों से अटके इस सवाल को जल्द ही वाजिब तौर पर हल किया जायेगा.

८. राज्य के सभी जिलों में (बम्बई को छोड़कर) जिला उद्योग मरकज इस गरज से खोले गये हैं कि देहाती इलाकों में दूर-दूर तक फैले कुटीर व छोटे उद्योगों के विकास पर नजर रखी जा सके और छोटे उद्योगपतियों को सभी तरह की जरूरी मदद और सहूलत एक ही जगह पर दी जा सके. राज्य के पिछड़े इलाकों में खानगी उद्योगों को बढ़ावा देने के मकसद से चलाई गई कलेक्टिव इन्सेन्टिव स्कीम में तरमीम करके उसे व्यापक और ज्यादा कारगर बनाया गया है. नया उद्योग खोलने के लिए सरकारी महकमों और संस्थाओं के जरूरी लाइसेन्स एक ही जगह पर आसानी से और जल्दी मिल सकें इस मकसद से एक अलग मशीनरी "उद्योग मित्र" कायम की गई है. इसके अलावा सरकार ने खुद हाल ही में औरंगाबाद में एक नई कम्पोजिट टेक्सटाईल मिल पब्लिक सेक्टर में शुरू की है और दूसरी टेक्सटाईल मिल विदर्भ इलाके के कलमेश्वर में खोली जा रही है.

९. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को तामीर करने की गुंजाईश के बारे में राज्य सरकार को सलाह देने के लिये डा. सेठना की सदारत में जो स्टडीग्रुप बनाया गया था उसकी सिफारिश के मुताबिक गैस क्रॅकर और तीन डाऊन स्ट्रीम प्रोजेक्ट मरकजी पब्लिक सैक्टर में शुरू करने के बारे में केन्द्र सरकार को तजबीज भेज दी गई है. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बन जाने से राज्य की, खास कर कोकण जैसे पिछड़े इलाके की तेजी से तरक्की करने में काफी मदद मिलेगी. इसलिये हमे उम्मीद है कि राज्य सरकार ने इस बाबत जो तजवीज की है उसकी मरकजी हुकूमत हिमायत करेगी.

१०. इस साल औद्योगिक मेलजोल की हालत में पिछले साल के मुकाबले काफी सुधार नजर आता है. औद्योगिक अमन बिगड़ने की एक खास वजह यह है कि कामगारों को नौकरी से हटाने जैसे जाती मामलों का फैसला करने में बहुत समय लगता है. इस मसले को ख्याल में रखकर सरकार ने कानून में तरमीम करने का तसफिया किया है ताकि इन मामलों का जल्द से जल्द और हो सके तो नौ महिनों के अंदर फैसला करने का इंतजाम उस कानून में किया जा सके. सरकार ने यह भी फैसला किया है कि मथाडी हमाल और अन्य श्रमिक कामगार अधिनियम में तरमीम करके उसके तहत गुनाहों का फैसला करने का अख्तियार अब फौजदारी अदालत के बजाय कामगार व औद्योगिक अदालत को दिया जाय और बृहत्तर बम्बई में इस तरह के मामले ज्यादा होने की वजह से उनका फैसला करने के लिए वहाँ एक अलग अदालत कायम की जाय. यदि कोई कारखाना बिजली के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक को नजरन्दाज करता है तो उसे बिजली की सप्लाई काट दी जाती है और इस हालत में कारखाना बन्द रहने के दौरान कामगारों को सिर्फ आधी तनख्वाह दी जाती है. इस बाबत सरकार का इरादा है कि कामगारों को उस अवधि में पूरी तनख्वाह दी जाये और उसके लिए कानून में वाजिब रद्दोबदल किया जाय.

११. हैन्डलूम और पावरलूम जुलाहों को राज्य से मिलनेवाले धागे की मिकदार में इजाफा करने के मकसद से आजतक ३० से ज्यादा सहकारी सूत मिलों को रजिस्टर कर लिया गया है और अगले ५ सालों में कम से कम इस तरह १५ नयी मिलें शुरू करने का कार्यक्रम सरकार ने बनाया है. कपास खरीदी स्कीम तेजी से कामयाबी की ओर बढ़ रही है और उम्मीद है कि चालू मौसम में १६ लाख गांठ कपास खरीदी जायेगी. रिझर्व बैंक ने इस योजना को कर्ज देने की मंजूरी दी है. कपास खरीदी स्कीम को मजबूत बनाने और उसके अमली तरीके में जरूरी तरमीम करने के मकसद से कानून में तरमीम करने के लिए एक मसविदे कानून जल्द ही पेश किया जायेगा.

१२. किसानों को खासकर छोटे किसानों और आदिवासियों को महाराष्ट्र भू-विकास बैंक के मार्फत उधार देने का रास्ता फिर से खोलने के लिए सरकार को, खुद द्वारा चलाई गई कुछ योजनाओं के तहत बैंक के उस कर्जे को फेरने के लिए जिसकी वसूली नहीं हो सकती है, ८.१५ करोड़ रुपये चुकाना है. सरकार छोटे किसानों और आदिवासी को फसल पर दिये जानेवाले कर्ज के बारे ब्याज की रियायत भी दे रही है. जिसका नतीजा यह है कि आदिवासी को ज्यादा से ज्यादा ७५० रुपयों का फसल कर्ज ब्याज मुफ्त मिल रहा है और दूसरे छोटे किसान को चार फीसद ब्याज दर पर फसल कर्ज मिल रहा है.

१३. छोटे काश्तकारों को खेती की पैदाइश की मुनासिब कीमत न मिलने की वजह और बार-बार कुदरती मुसीबत के कारण फसलों की बरबादी हुई इसलिए उसका मुकाबला करना पड़ा, और इस तरह संकट में फँसे रहने की वजह से वह सहकारी संस्था से लिया गया अपना कर्ज नहीं भर सका और कर्जदार बने रहने के कारण उसे आगे कर्ज मिलने की सहूलत से हाथ धोना पड़ा. इससे पैदावार पर बुरा असर पड़ता है. ऐसी हालत में इन किसानों को जिनके पास कम जमीन है, फिर से कर्ज मुहैया किया जा सके, इस मकसद से सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला किया है. इस फैसले के मुताबिक छोटे किसानों की बाकी ब्याज की पूरी रकम सरकार भरेगी. इसके अलावा मूल रकम भी सरकार खुद सहकारी बैंक को भरेगी और काश्तकार इस रकम को तगाई समझकर दस साल के अंदर सरकार को लौटायेंगे. मेरी सरकार उम्मीद करती है कि रिझर्व बैंक व केन्द्र सरकार इस फैसले की बाबत अच्छा रूख अपनायेगी और इस फैसले को अमल में लाने पर लाखों छोटे काश्तकारों को फिर से कर्ज मुहैया किया जायेगा और वे राज्य का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम में हाथ बंटा सकेंगे और उनमें कर्ज की बाकी रकम लौटने की कूवत पैदा होगी.

१४. इस साल बरसात होने में करीब १० दिनों की देरी हुई थी. खरीफ के मौसम में लगातार रुक-रुक कर सूखा पड़ने की वजह से कुछ इलाकों में नमी की बिलकुल कमी रही. नतीजा यह हुआ कि ८८.९६ लाख हेक्टर खरीफ की काश्त में से १७ जिलों में करीब ६.४५ लाख हेक्टर काश्त में बुवाई नहीं हो सकी.

१५. इसी तरह १५ जिलों में लगभग ४.७८ लाख हेक्टर जमीन में नमी की कमी के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है. इससे करीब ४.८६ लाख टन अनाज की पैदावार का नुकसान हुआ है. फिर भी सितम्बर और अक्टूबर में कुछ अच्छी बारीश होने के कारण मटियार और बलुही जमीन में फसल अच्छी रही है और उम्मीद है कि इसमें करीब ६८ लाख टन

अनाज की पैदावार हो जायेगी. अभी तो रबी फसल के आसार अच्छे नजर आ रहे हैं. जिन खेतों में खरीफ की बुवाई नहीं हो पाई है ऐसे ज्यादा से ज्यादा खेतों में रबी की काश्त करने की कोशिश की गई है. आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि खेती के लिए राज्य के कॉन्टिनजेनसि प्लान की भारत सरकार ने तारीफ की है.

१६. बारिश न होना, बाढ़ आना, ओले गिरना जैसी कुदरती मुसीबतों के मारे काश्तकारों की मदद के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं. खास करके उन काश्तकारों को, जिनकी जमीन ४ हेक्टर से कम है, फिर से बुवाई के लिए या नये मौसम की बुवाई के लिए बीज मुफ्त दिये गये. ४ हेक्टर से ज्यादह जमीनवाले काश्तकारों को भी बीज कर्ज के बतौर दिये गये. इसके अलावा ऐसे सब काश्तकारों को खाद और घास चारे के लिए भी कर्ज दिया गया और उन्हें रोजगार गारण्टी योजना के जरिए काम भी दिये गये. जिन इलाकों में इस तरह कुदरती मुसीबत आई थी वहाँ पीने के पानी की सप्लाई टैंकरों और पानी सप्लाई योजना के जरिये चालू रखने की कोशिश की गई. इस योजना पर सितम्बर १९७९ तक करीब ३ करोड़ रुपये और रोजगार गारण्टी योजना पर करीब ३२.५० करोड़ रुपये खर्च किये गये. इसके साथ ही जिन इलाकों में हमेशा अकाल आता है उन इलाकों के काश्तकारों को राहत देने के लिए ९.९० लाख काश्तकारों का करीब १२७ करोड़ रुपयों का सॉइल कॉन्झर्व्हेशन कर्ज माफ कर दिया गया.

१७. चालू बाजार मौसम में ज्वार और बाजरा दोनों की प्रति क्विंटल समर्थित कीमत को बढ़ा दिया गया है. पहले यह कीमत ७७ रुपये फी क्विंटल ज्वार, ९० रुपये फी क्विंटल औसत धान और धान ८५ रुपये फी क्विंटल थी, अब उसकी जगह इसे ८७ रुपये फी क्विंटल ज्वार और धान ९५ रुपये फी क्विंटल कर दिया गया है.

१८. इस साल नागपुर डिविजन के सारे जिलों को और कोल्हापुर, सातारा, सांगली और सोलापुर जिलों के कुछ हिस्सों को भारी बाढ़ का मुकाबला करना पड़ा. हजारों लोग बेघर हुए और उनकी फसलें डूब गई. मकान और दूसरे माल असबाब का भी बहुत नुकसान हुआ. रोटी, कपड़ा, बर्तन, भांडे वगैरे की मदद सरकार ने तुरंत पहुँचाई. इसके अलावा गिरे हुए मकानों की तादाद का खयाल करके सरकार ने तकरीबन १० हजार मकान बनवाने का एक भारी प्रोग्राम भी हाथ में लिया. विदर्भ के सारे जिलों में यह काम चालू है और उम्मीद है कि अगली बारीश से पहले सभी बेघरों को रहने की जगह देने का काम पूरा किया जा सकेगा. राज्य के सभी तबकों के लोगों ने इन बाढ़ पीड़ितों को फिर से बसाने के लिए उदारता से मदद दी. मुख्यमंत्री के विदर्भ-मोरवी बाढ़ पीड़ित सहायता निधि में आज तक ३.३६ करोड़ से भी ज्यादा रकम जमा हुई है.

इसके सिवाय राज्य में चल रही कई परियोजनाओं के कारण जिन परिवारों को नुकसान पहुँचा है, उन्हें फिर से बसाने का काम भी पूरी तेजी से चल रहा है. अब तक ऐसे कुल १ लाख परिवार हैं, जिनमें से करीब ७७ हजार परिवारों को फिर से बसाया जा चुका है. सरकारी और सरकार के कॉर्पोरेशनों को और सरकार के मातहत दीगर संस्थाओं की सेवाओं में खाली जगह भरने के वक्त परियोजना पीड़ितों का पहला नंबर देने का भी सरकार ने विचार किया है.

१९. राज्य में आम दरफ्त की जरूरतों को खयाल में रखकर खास-खास राजमार्गों की मरम्मत और आदिवासी इलाकों में से गुजरनेवाली सड़कों और पुलों के काम पर जोर दिया जा रहा है. इसी तरह १,५०० या इससे कम आबादी वाले गांवों को और १,००० से १,५०० तक की आबादी वाले गांवों में से ५० फीसद गावों को बड़ी सड़कों से बारहों महीनों चलनेवाले रास्तों से जोड़ने का भी इरादा है. नागपुर डिविजन में हाल में जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से खराब हुये आम दरफ्त का सिलसिला फिर से चालू करने के लिए तुरंत काम शुरू किया गया है और उसके लिए करीब साढ़े-तीन करोड़ रुपये का एक खास प्रोग्राम बनाया गया है.

२०. आप सबको मालूम है कि १९७९ साल को हमने राजभाषा वर्ष के रूप में मनाया. सरकारी कामकाज में मराठी का इस्तेमाल करने की दिशा में सरकार भरपूर कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि १९८५ तक पूरे कामकाज में मराठी का इस्तेमाल होने लगेगा.

२१. बांधकाम कार्यक्रम के तहत जो खास काम शुरू किये गये हैं उनमें नये कौन्सिल हॉल की इमारत, विक्रीकर महकमा के लिए एक १० मंजिली इमारत, आदिवासी इलाके में गोदाम व आश्रम शाला, अदालतों की इमारत और जजों के लिए घर वगैरह बनाने का काम शरीक है. इसके अलावा इस साल हुडको की मदद और राज्य बजट में ४ करोड़ रुपयों का और ज्यादा इंतजाम करके पुलिसों के लिए घर बनाने का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है. इस तरह अनेक योजनाओं के तहत १९८१ के दरम्यान तक पुलिसों के लिए करीब ८,६०० घर बना दिये जायेंगे.

२२. राज्य के पुलिसों के काम की शर्तों को नजर में रखते हुए उनकी सेवा से ताल्लुक रखनेवाली शर्तों में कुछ खास रद्दोबदल की गई है. उन्हें हफ्ते में एक छुट्टी लेने का हक दिया गया है और वह छुट्टी न मिलने पर उसके बदले में उन्हे रोजाना भत्ता दिया जायेगा और इसी तरह हर साल उन्हें १५ दिनों की अर्जित छुट्टी मिलेगी और वह न लेने पर उसके एवज में नगद रकम लेने की सहूलत होगी व उन्हें १० रुपये माहवार वर्दी के लिए दिया जायेगा. ये सब बातें उनके लिए नये सिरे से मंजूर की गई हैं. पुलिस इन्स्पेक्टर को भी छुट्टियाँ व साथ में अर्जित छुट्टी देने की सहूलियत दी गई है. इसके अलावा उन्हे कर्मचारी संघटना बनाने की भी मंजूरी दी गई है. राज्य स्तर पर स्टाफ कौन्सिल और ज्वाइंट कन्सलटेटिव कौन्सिल कायम करने का इरादा किया गया है.

२३. माली इमदाद देकर कारखानों के कामगारों के लिये बनाये गये क्वार्टर्स में रहनेवाले कामगार और वहाँ रहनेवाले कमजोर तबकों के लोगों की हमेशा यह माँग रही है कि ये क्वार्टर्स उन्हें बेच दिये जायें. उसके मुताबिक राज्य सरकार ने भारत सरकार से मंजूरी लेकर क्वार्टर्स बेचने के लिये हुक्म जारी किया है.

२४. बम्बई महानगर प्रदेश में पानी मुहैया करने और गटार के इंतजाम की सहूलतों को बृहत्तर बम्बई से बाहर ६ शहरों और १०४ गावों में लागू करने के लिये एक प्रोजेक्ट बनाया गया है और विश्व बैंक से उसकी मंजूरी मिल गई है. इस प्रोजेक्ट के लिये अंदाजन ८६ करोड़ रुपये खर्च आयेगा और उसे ५ सालों में पूरा करना है. बम्बई शहर के लिये विश्व बैंक की

मदद से शुरू किया गया भातसई प्रकल्प का पहला फेज कुछ हद तक पूरा होने से बम्बई शहर को दिसम्बर १९७९ से ३०० लाख गॅलन पानी हर रोज ज्यादा मिलने लगा है और निकट भविष्य में पानी की सप्लाई १,००० लाख गॅलन हो जायेगी. नई बम्बई के प्रोजेक्ट का काम जमीन सुलभ होने की वजह से तेजी से चल रहा है.

२५. हमारा राज्य परिवार कल्याण कार्यक्रम में आगे रहा है. कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और भी शादीशुदा लोगों को इसमें शामिल करने की खास तौर पर कोशिश जारी रखी गयी. १६ सितम्बर १९७९ और १५ अक्तूबर १९७९ के बीच खास तेहरिक के लिये राज्य की निधि में से १ करोड़ से ऊपर इमदादी रकम दी गई है, जो भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई सामान्य इमदादी रकम के अलावा है. यह खास मुहीम बहुत ही कामयाब रही क्योंकि इसके दौरान उस महीने में करीब १.२८ लाख नसबंदी की गई और इसकी वजह से साल का २.४६ लाख का टारगेट भी पूरा होने की उम्मीद हो गई.

२६. मुनासिब इलाज और सेहत की सहूलतें देने के बारे में देहात के लोगों की बढ़ती माँग को पूरा करने के सिलसिले में सरकार ने हालही में मुख्तसर मुद्दत मेडिकल डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है. वे मेडिकल सहायक अपनी तालीम पूरी करने पर एम.बी.बी.एस. डाक्टरों और समाज सेवकों के बीच के दर्जे की स्वास्थ्य सेवा दे सकेंगे .

इस कोर्स के लिये, कोल्हापुर, अकोला, नांदेड, धुलिया और रत्नागिरी में इस साल ५ केंद्र खोले गये हैं और कुल मिलाकर २०० छात्रों को भर्ती किया गया है. ये मेडिकल सहायक देहात के लोगों को मुनासिब स्वास्थ्य सेवा देने के लिये देहातों में अपना व्यवसाय शुरू करेंगे इस बुनियादी मकसद को ध्यान में रखते हुये, सिर्फ ऐसे छात्रों को ही इस कोर्स के लिये चुना गया है, जिन्होंने १०+२ कोर्स पूरा करने के साथ ही साथ, सातवीं जमअत तक अपनी तालीम देहात में ही पूरी की हो.

२७. तालुका जगहों में देहात के लोगों को अच्छी सेवायें देने के इरादे से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलनेवाली डाक्टरी सेवाओं के अलावा सरकार ने हरएक तालुके की जगह पर जहाँ ऐसी सहूलत नही हैं, ३० खाटों के कॉटेज अस्पताल का कार्यक्रम अलग अलग चरणों में शुरू किया है. ऐसे अस्पतालों में एक्स-रे और प्रयोगशाला का इंतजाम होगा.

२८. देहाती इलाकों में प्राईमरी स्कूलों के बच्चों को बेहतर गिजा देने और स्कूल में उनकी हाजिरी बढ़ाने के इरादे से उन्हें पूरक खाना या स्कूल में खाना देने की स्कीम को १९७८-७९ में और फैलाया गया है ताकि इस स्कीम के तहत राज्य के ऐसे तालुकों जहाँ की सूखा पड़ता हैं और आदिवासी सब प्लान इलाकों के ६ से ११ साल तक के बच्चों को शरीक किया जा सके. १९७८-७९ के दौरान ७ लाख बच्चों को इस स्कीम के तहत फायदा मिला था. उसके मुकाबले में चालू साल में १० लाख बच्चों को इससे फायदा मिला हैं.

सरकार ने २ अक्तूबर १९७९ से करीब १,१०० गावों में पौष्टिक आहार/सुखड़ी के बदले में गिजा के तौर पर दूध देने की स्कीम शुरू की है, जिससे स्कूल फीडिंग प्रोग्राम के तहत १०.२५ लाख बच्चों में से करीब दो लाख बच्चों को फायदा मिला है. शुरू में दूध बाँटने के काम में कुछ कमियाँ महसूस हुई लेकिन उन्हें दूर करने के लिये तुरन्त कारवाई की गई थी.

२९. देहातों में साफसुथरे और मुनासिब मिकदार में पानी का इंतजाम करना एक बुनियादी जरूरत है. सरकारने छठवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने से पहले सब गाँवों में इस तरह पीनेके पानीका इंतजाम करने का फैसला किया है. इसमें ऐसी बस्तियाँ भी शामिल है, जिनकी आबादी १०० या उससे ज्यादा है और जोकि पीने के पानी के आम साधन से ०.६ कि. मी. की दूरी पर है.

यह भी कोशिश जारी है कि जन, १९८१ तक कमसे कम ८,००० गाँवों को (जिसमें बस्तियाँ भी शामिल हैं) पीने का पानी दिया जा सके.

३०. खेती की मकसूस और छोटे-मोटे जंगलाती पैदावार के लिये एकाधिकार खरीदी योजना शुरू की गई है. इसका मकसद यह है कि आदिवासियों को बेपारियों के चंगुल से बचाया जा सके. यह योजना आदिवासियों के लिए काफी फायदेमंद रही और उसे अच्छा प्रोत्साहन मिला. सरकार ने १९७९-८० में भी इस योजना को जारी रखा है. यह उम्मीद है कि चालू साल में उल्लिखित आदिवासी इलाकों में ७ लाख क्विंटल अधिसूचित माल की खरीदी की जा सकेगी जिसकी कीमत ८.२५ करोड़ रुपये होगी. इसके साथ ही उपभोग के लिए माली इमदाद की योजना भी जारी रखी गयी और ५४.१५५ आदिवासियों को ६४.२३ लाख रुपये कर्ज दिया गया.

अनुसूचित जन-जातियों के सरकारी आश्रम मदरसों के अलावा अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जातियों और खाना बदोश जातियों के लिये २३६ आश्रम मदरसे मौजूद हैं, जिसे स्वैच्छिक एजेन्सियाँ ९० फीसद सहायक अनुदान के तौर पर चलाती हैं. ऐसी अनेक सहायता अनुदानप्राप्त मुख्तलिफ वस्तुओं की कीमतों में हाल ही में दुबारा फेरफार किया गया है. चालू साल में जनजाति उप-योजना इलाकों में १४ नये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंजूर किये गये हैं.

३१. अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान जरूरतमंद बच्चों की देखभाल के लिये, खास कर जो बच्चे ०-६ साल और ६-१२ साल के ग्रुप में आते हैं, ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं. देहाती इलाकों में हर जिले के ऐसे ४ या ५ गावों को जिनकी आबादी ५०० से कम हो, अनेक तरह की सेवा योजनाओं को लागू करने के लिये चुना गया है, जिनमें पोषण आहार, रोग की रोकथाम करना, सेहत की जांच, प्राथमिक शिक्षा, दिन में देखभाल करने-वाले केन्द्र, शिशुकेन्द्र, आदि शामिल हैं.

असंगठित व्यवसाय के मैदान में करीब ५०० बच्चों के लिये एक कार्यक्रम चालू किया गया है और इस कार्यक्रम में हर बच्चे के लिये माहवार ६० रुपयों का इन्तजाम किया गया है. इसीतरह शहरी इलाकों में बगैर माँ-बाप के और बेसहारा ५०० बच्चों को उनकी देखभाल के लिये पालक माँ-बाप के अधीन सौंपने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है और इस काम के लिए हर बच्चे के पीछे माहवार ४० रुपयों की माली इमदाद देने की तजवीज की गई है.

३२. बिजली के मैदान में, राज्य को बिजली की भारी कमी का मुकाबला करना पड़ रहा है. ऐसी हालातों की बजहसे जो हमारी कूवत के बाहर हैं, मई और जून १९७९ ई. में बिजली की हालत हद से ज्यादा बिगड़ गई थीं—हालांकि उसके बाद हालत में काफी सुधार हुआ है.

फिर भी बिजली की माँग बिजली पैदा करने की कूवत से ज्यादा होने से राज्य को और भी कुछ दिन बिजली की कटौती जारी रखना जरुरी है.

बिजली पैदा करने की कूवत में इजाफा करने के लिये कोशिश जारी है. राज्य योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिजली पर खर्च करने के लिए रखा गया है. १९७९-८० के दौरान बिजली की कूवत में ४२० मेगावाट और इजाफा किया जा रहा है.

चालू साल में १,८०० गाँवों और ५०,००० पम्पों को बिजली दी जायेगी. इस तरह साल के आखिर तक राज्य के २५,४७५ गाँवों (७० फीसद) में बिजली पहुँच जायेगी. इस समय जिन गाँवों और पम्पों को बिजली देना है उनमें से २०० गाँव और १,२५० पम्प आदिवासी इलाकों में होंगे और करीब २,००० हरिजन बस्तियों को भी बिजली दी जायेगी.

१ अप्रैल १९७९ से देहाती इलाकों में पीने के पानी के लिए दी जानेवाली बिजली के टॅरिफ की ३२ पैसे फी यूनिट दर को घटाकर २० पैसे कर दिया गया है. इन उपभोक्ताओं को हार्स-पावर के आधार पर भुगतान करने की सहूलत दी गई है, जिसकी सालाना दर फी हार्स पावर १२५ रुपये होगी.

अगले साल के दौरान, १,९५० गाँवों और ५२,३०० पम्पों को बिजली देने की तजवीज है, जिसमें आदिवासी इलाकों के ३०० आदिवासी गाँव और २,५०० पम्प शामील हैं. तकरीबन २,५०० हरिजन बस्तियों को भी बिजली मिलेगी.

३३. माननीय सदस्य इस बात से वाकिफ हैं कि महाराष्ट्र विक्रीकर विधेयक, १९७९ ई. को राष्ट्रपति महोदय की इजाजत मिलने के बाद यह अधिनियम जून १९७९ में गजट में शाया किया गया. व्यापार, उद्योग और ग्राहक के मुख्तलिफ तबकों ने अधिनियम की कुछ तजवीजों के बारेमें एतराज जाहिर किया था और शिकायत की थी. सरकार ने इससे ताल्लुक रखनेवाले लोगों से इस बारेमें बार बार सलाहमशविरा किया है. इस अधिनियम के उसूलों के खिलाफ या जिसकी वजह से उससे मिलनेवाली आमदनी में कमी हो सकती है, ऐसी बातें छोड़कर, कानून के जिन मुद्दों से अनायास तकलीफ बढ़ सगती है, ऐसी शिकायतें हल की जा सकती हैं और वह करने की मेरी सरकार कोशिश करेगी. इस अधिनियम को १ अप्रैल १९८० से अमल में लाने का सरकार का इरादा है.

३४. आखिर में मैं आपको न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम. एन. पी.) और समाज के कमजोर तबकों के लिए चलाये गये दूसरे कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे मेरी सरकार ने ज्यादा से ज्यादा अहमियत दी है. भारत सरकार ने एमएनपी में जो फिर से सुधार किया है उसके मुताबिक १९७९-८३ की पंचवार्षिक योजना के आखिर तक ४५ फीसद जमीन नदारत और बेघर देहाती मजदूरों को घर बनाने के लिए जगह और झोपड़ियाँ देने का इंतजाम किया गया है. इसके मुकाबले में मेरी सरकार की तजवीज है कि १९८१-८२ के आखिर तक ऐसे सौ फीसद लोगों को इस कार्यक्रम के तहत शरीक कर लिया जायेगा. और इस मकसद को पूरा करने के लिए इस साल ६१,००० झोपड़ियाँ बनाने के लिए इस योजना पर ६०२.८० लाख रुपयों के खर्च का इंतजाम कर लिया गया है.

इसी तरह देहाती इलाकों में पानी मुहैया करने के बारे म भारत सरकार के मानदंड के मुताबिक मार्च १९८३ के आखिर तक सभी पानी की कमीवाले गाँवों को पानी दिया जा सकेगा.

लेकिन मेरी सरकार ने जून १९८२ तक ही ऐसे पानी की कमीवाले गाँवों को पानी पहुंचाने की तजवीज की है और इसके अलावा जून १९८३ के आखिर तक राज्य के सभी गाँवों में पीने के पानी की सहूलत देने की तजवीज की है. इस मकसद को पूरा करने के लिए मेरी सरकार ने चालू साल में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और उसके लिए ८ करोड़ रुपये अलावा खर्च का इंतजाम किया है. एमएनपी के तहत देहातों में सड़क बनाने का कार्यक्रम अमल में लाते समय गाँव की हरिजन बस्तियों को सड़क से जोड़ने की अहमियत दी जायेगी और यदि जरूरी हुआ तो इन सड़कों की सीध में भी फेरबदल कर दी जायेगी.

३५. कुछ लोगों ने खेती करने के मकसद से जंगलाती जमीनों व दूसरी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया था. ३१ मार्च १९७८ को जो जमीन इस तरह लोगों के कब्जे में थी उसके बारे में सरकार ने दिसम्बर १९७८ में ऐसा हुकुम दिया कि इस तरफ कब्जा करनेवाला शख्स यदि सरकार द्वारा मुकर्रर नियम के मुताबिक काबिल है, तो उसे वह जमीन मौजूदा कानून के मुताबिक दे दी जाये व उनका मामला कायदे से कर दिया जाये. इस हुकुम का दायरा बढ़ाने के बारे में बहुतसे निवेदन आये. इन निवेदनों पर गौर करके सरकार ने सितम्बर १९७९ में ऐसा हुकुम दिया कि १ अप्रैल १९७२ से ३१ मार्च १९७८ के दरम्यान किसी भी वक्त जिन जमीनों पर कब्जा किया गया हो, उन जमीनों को कब्जा रखनेवाले शख्सों को देने के लिये उसमें से जंगल काटकर साफ कर दिये जायें.

३६. राज्य के पिछड़े इलाकों के खास मसलों की तरफ मेरी सरकार ध्यान दे रही है. इस सिलसिले में रत्नागिरी के भगवती बंदर प्रोजेक्ट और उसी तरह चंद्रपुर जिले में खोले जा रहे नये सिमेन्ट कारखानों के लिए जरूरी सहूलियतें देने और नागपुर शहर में पानी सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए जरूरी और इंतजाम किये जा रहे हैं.

३७. अपने राज्य में कमजोर तबकों के लिए जो अहम कार्यक्रम वरदान के रूप में साबित हुआ है, वह है 'रोजगार गारंटी स्कीम'. उम्मीद है कि चालू साल में इस स्कीम पर अंदाजन ८१.५० करोड़ रुपया खर्च होगा. इस स्कीम को अंजाम देने की वजह से खास तौर पर देहाती इलाकों के बेहुनर मजदूरों को रोजगार हासिल करने का एक मुस्तकल जरिया मिल गया है. चालू साल में इस स्कीम के तहत मजदूरी के कुछ हिस्से के बदले में अनाज देने की शुरुआत करने से करीब ६४ हजार टन अनाज बाँटा गया है. इस कार्यक्रम के लिए हमने जो २ लाख टन अनाज की माँग की है यदि वह पूरा अनाज मिल जाता है, तो उससे अंदाजन २० करोड़ श्रम दिन का काम पूरा किया जा सकता है. अब तक केंद्र सरकार ने १.४१ लाख टन अनाज दिया है. ऐसी उम्मीद है कि बाकी अनाज भी उस सरकार से मिल जायेगा और "काम के लिए अनाज" यह कार्यक्रम भविष्य में केन्द्र सरकार की मदद से जारी रखा जा सकेगा.

३८. इस साल सरकार जो विधेयक आपके सामने पेश करेगी, वह ये हैं :—

**(1) The Maharashtra Sinhastha Fair Pilgrims Tax Bill, 1980 (Maharashtra Ordinance VI of 1979 Conversion Bill).**

**(2) The Maharashtra Village Panchayats (Temporary Postponement of Elections due to Elections to Lok Sabha) Bill, 1980 (Maharashtra Ordinance VII of 1979 Conversion Bill).**

(3) The Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis (Postponement of Elections to Zilla Parishads and Panchayat Samitis and Amendment) (Amendment) Bill, 1980 (Maharashtra Ordinance VIII of 1979 Conversion Bill).

(4) The Maharashtra Water Supply and Severage Board (Amendment) Bill, 1980 (Maharashtra Ordinance IX of 1979 Conversion Bill).

(5) The Contingency Fund (Temporary Amendment) Bill, 1980 (Maharashtra Ordinance X of 1979 Conversion Bill).

(6) The Maharashtra Municipalities and the Maharashtra Municipalities (Postponement of Elections due to ensuing General Elections to Municipal Councils) (Amendment) Bill, 1980 (Maharashtra Ordinance XI of 1979 Conversion Bill).

(7) The Bombay Land Improvement Schemes (Amendment) Bill, 1980 (Maharashtra Ordinance XII of 1979 Conversion Bill).

(8) The Maharashtra Supplementary Appropriation Bill, 1980.

(9) The Maharashtra Municipal Corporations (Amendment) Bill, 1980.

(10) The Presidency Small Cause Courts (Maharashtra Amendment) Bill, 1980.

(11) Maharashtra Private Forests (Acquisition) (Amendment) Bill, 1980.

(12) The Bombay Industrial Relations and Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1980.

(13) The Maharashtra Municipalities (Amendment) Bill, 1980.

(14) The Bombay Village Panchayats (Amendment) Bill, 1980.

(15) The Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis (Amendment) Bill, 1980.

(16) The Maharashtra Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1980.

(17) The Maharashtra Mathadi, Hamal and Other Manual Labour (Regulation of Employment and Welfare) (Amendment) Bill, 1980.

(18) Industrial Dispute Act, 1946 and the Maharashtra Unemployment Allowance Payment to Workmen in Factories (Temporary Period) Act, 1976 (Amendment) Bill, 1980.

३९. माननीय सदस्यों को मालूम है कि, अभी हाल ही में राज्य में लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से संपन्न हुआ. सभी राजनीतिक दल और प्रजातन्त्र में भरोसा रखनेवाली जानकार जनता के सहयोग से ही खास तौर से यह निबह सका. हम सबका कर्तव्य है कि जनता के फैसले का सम्मान करें. व्यापक राष्ट्रहित को नजर के सामने रखकर समाजहित के मसले की बाबत मेरी सरकार नयी केन्द्रीय सरकार को पूरा सहयोग देगी.

माननीय सदस्यों, मैंने अपनी सरकार की मुख्तलिफ अहम नीतियों, कार्यक्रमों, और कामयाबियों- पर रोशनी डालने की कोशिश की है. अब आपको इस दो हफ्ते के मुख्तसर इजलास में अनुपूरक मांगों पर विचार करना है, जो आपके सामने पेश की जायेंगी. आपको अध्यादेशों से तब्दील किये गये विधेयकों पर विचार करना है. इसके साथ ही कुछ दूसरे सरकारी और गैरसरकारी जरूरी कामकाज चर्चा के लिए आपके सामने रखा जायेगा. मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे विधानमंड़ल की बेहतरीन रिवाज के मुताबिक विधानमंड़ल के सामने रखे गये सब मामलों पर आपके मार्गदर्शन और सहयोग से समय के भीतर चर्चा होगी और निबटारा होगा.

जय हिन्द !

मुद्रणस्थल : शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, बम्बई